<u>न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)</u>

अपील संख्या:— 12/26/2022, रजि0 न0 2022/45

<u>अपीलार्थी:—</u>

श्री प्रताप सिंह एडवोकेट,
कोर्ट कैम्पस बहरोड,
जिला अलवर (राज0)

<u>प्रत्यर्थी:—</u>

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

<u>—:: निर्णय ::—</u>

दिनांक:— 30.06.2022

1—अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा—6 (1) के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड को आवेदन पत्र दिनांक 25.04.2022 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।

2—अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड। द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।

3—अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड से जरिये पत्र कंमाक 377 दिनाक 30.05.2022 के द्वारा जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 09.06.2022 को उपस्थित आवें।

4—अपीलार्थी उपस्थित नही आया तथा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड ने अपील में वर्णित तथ्यो पर बिन्दूवार जवाब/की गयी कार्यवाही से अवगत नही कराये जाने पर पुनः स्मरण पत्र कंमाक 410 दिनाक 10.06.2022, 440 दिनाक 24.06.2022 के द्वारा लिखा गया किन्तु अपेक्षित रिपोर्ट प्राप्त नही होने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

5—राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड द्वारा अपील का बिन्दूवार जवाब/सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध नही कराये जाने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अपील में वर्णित सूचनाऐ यदि द्वेयता की श्रेणी में आती हो तो अपीलार्थी को निशुल्क उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।

6—निर्णय आज दिनांक 30.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7— पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अखिलेश पिपल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)